

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भू-अर्जन निदेशालय

पटना, बिहार

अधिसूचना

पत्रांक.....748/रा०

दिनांक.....०६.०३-१३

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-हकाम थाना- महम्मदपुर थाना नं०-288 परागना- मडहल जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर यानि बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम- हकाम में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.07 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं०- निम्न प्रकार है।

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा नं०- 2622 अंश, 2623 अंश, 2443 अंश, 2442 अंश, 2444 अंश, 2445 अंश, 2457 अंश, 2456 अंश, 2459 अंश, ।

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर - खेसरा नं०-2625 अंश, 2444 अंश, 2445 अंश, 2456 अंश, 2550 अंश, आम सड़क।  
पूरब - खेसरा नं०- 2448 अंश, 2447 अंश, 2444 अंश, 2459 अंश, ।  
दक्षिण - खेसरा नं०-2443 अंश, 2442 अंश, 2457 अंश, 2459 अंश, ।  
पश्चिम- खेसरा नं०- 2622 अंश, 2623 अंश, 2443 अंश, 2456 अंश, ।


इस अधिसूचना को भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज एवं उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत् समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारीयों को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण कर तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करेंगे।

चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरन्त आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (A) के उपबंध उक्त जमीन पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
समाहता  
गोपालगंज।

सरकार के अवर सचिव  
बिहार पटना।

ज्ञापांक संख्या- 14/डी0 एल0 ए0 गोपालगंज (संपर्क पथ) - 54/2012-748/दि0-06-03-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, गोपालगंज को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, गोपालगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/5/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।  
2